

<sup>1</sup>[प्ररूप सं. 10झचक

[नियम 21कजक का उपनियम (1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकड. की उपधारा (5) के अधीन  
विकल्प का प्रयोग करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

मैं .....[115खकड. की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाली सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता], जिसका स्थायी लेखा संख्यांक ..... है, के निमित्त आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकड. की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का .... पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए प्रयोग करता हूँ।

2. सहकारी सोसाइटी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- (i) सहकारी सोसाइटी का नाम :  
(ii) क्या निवासी सहकारी सोसाइटी है : हां/नहीं  
(iii) पेन सं. :  
(iv) रजिस्ट्रीकृत पता :  
(v) रजिस्ट्रीकरण की तारीख : दिन/मास/वर्ष  
(vi) कार्यकलापों की प्रकृति :  
(vii) विनिर्माण/उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख :

3. मैं यह जानता हूँ कि धारा 115खकड. की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात् उसे उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है।

4. मैं, यह पुष्टि करता हूँ कि—

- (i) कारबार को पहले से ही विद्यमान कारबार का विभाजन करके या पुनर्गठन करके विरचित नहीं किया गया है;  
(ii) कारबार अधिनियम की धारा 115खकड. की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व में उपयोग की गई किसी मशीनरी या संयंत्र का उपयोग नहीं करता है;  
(iii) सहकारी सोसाइटी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण और उत्पादन तथा उसके संबंध में अनुसंधान या ऐसी वस्तु या चीज, जिसका ऊपर बिन्दु 2(vi) में विनिर्दिष्ट विनिर्माण या उत्पादन से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी हुई है।

5. मैं, यह और पुष्टि करता हूँ कि पूर्वोक्त शर्तों के अतिरिक्त धारा 115खकड. में उपदर्शित शर्तों का पूर्वोक्त सहकारी सोसाइटी द्वारा पूरा किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

भवदीय,

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....]